

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0 6/निदे0 (TRI) 116-01/2022-06

प्रेषक,

निदेशक,

सेवा में,

उप सचिव,

बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना।

पटना-15, दिनांक-15/04/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना की स्थापना हेतु वेतनादि एवं अन्य मदों में प्रथम बार माह के लिए कुल ₹56,82,270/- (छप्पन लाख बेरासी हजार दो सौ सत्तर रु0) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत संकल्प संख्या 4998 दिनांक-21.12.2022 के आलोक में बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना के स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वेतनादि एवं अन्य मदों में प्रथम बार माह के लिए कुल ₹56,82,270/- (छप्पन लाख बेरासी हजार दो सौ सत्तर रु0) मात्र की राशि अंकित विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2 आवंटित राशि का व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध के तहत मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण- उप मुख्यशीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण लघु शीर्ष-277 शिक्षा- उपशीर्ष-0016-बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण विषयशीर्ष 0016.0101 वेतन, 0016.0103 जीवन यापन भत्ता, 0016.0104-मकान किराया भत्ता, 0016.0105 परिवहन भत्ता, 0016.0106 चिकित्सा भत्ता, 0016.0107 अन्य भत्ता, 0016.0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 0016.1101 यात्रा भत्ता, 0016.1301 कार्यालय व्यय, 0016.1303 दूरभाष, 0016.1304-विद्युत प्रभार, 0016.1310 भाड़े की गाड़ी का मुग्तान एवं 0016.2802 सविदा सेवाये, मांग संख्या-44-विपत्र कोड संख्या 44-2225022770016 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3 इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव, बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना होंगे।


4 राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं0 2561 दिनांक 17-4-98 एवं वित्त विभाग के पत्रांक 314/वि0, दिनांक 01.04.2026 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5 महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।


6 राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7 कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वनागाजन,


निदेशक

झापांक 3 सं० 6/निदे० (IRI) 116-01/2022 06 पटना, दिनांक-15/04/2026
 प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन/निदेशक, बिहार अनुसूचित
 जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना/अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण
 विभाग/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/उप निदेशक(मु०)/ प्रभारी बजट शाखा/आई० टी०
 मैनेजर./संबंधित प्रशाखा पदा०/ अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु०
 जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



 निदेशक।

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण
 संस्थान की स्थापना हेतु वेतनादि एवं अन्य मद में प्रथम चार माह के लिए आवंटित राशि की विवरणी।

क्रमांक	मद का नाम	बजट 2026-57 (राशि रू० में)	प्रथम चार माह के लिए आवंटित राशि (राशि रू० में)
1	वेतन (0016.0101)	64,99,000 /--	21,44,670 /--
2	जीवन यापन भता (0016.0103)	40,29,000 /--	13,29,570 /--
3	मकान किराया भता(0016.0104)	12,99,000 /	4,28,670 /
4	परिवहन भता (0016.0105)	2,95,000 /	97,350 /
5	विकिरसा भता (0016.0106)	79,000 /	26,070 /
6	अन्य भता (0016.0107)	20,000 /	6,600 /
	योग वेतनादि	1,22,21,000 /--	40,32,930 /--
7	विकिरसा प्रतिपूर्ति (0016.0601)	1,00,000 /--	33,000 /--
8	यात्रा व्यय (0016.1101)	3,00,000 /--	99,000 /--
9	कार्यालय व्यय (0016.1301)	11,00,000 /--	3,63,000 /--
10	दूरभाष (0016.1303)	33,000 /	10,890 /--
11	विद्युत प्रभार (0016.1304)	1,65,000 /--	54,450 /--
12	भाडे की गाड़ी का भुगतान (0016.1310)	16,50,000 /--	5,44,500 /--
13	संविदा सेवार्ये (0016.2802)	16,50,000 /--	5,44,500 /--
	कुल:-	1,72,19,000 /--	56,82,270 /--

कुल राशि (छप्पन लाख बेरासी हजार दो सौ सत्तर रू०) मात्र


 निदेशक

पत्रांक- 06 दिनांक-15/04/26 का अनुलग्नक।


 निदेशक